आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई मे टिप्पणी तारीख के साथ
6/1/2015	**सारण समाहरणालय, छपरा।** **न्यायालय जिला दंडाधिकारी, सारण, छपरा** **जिला विधि प्रशाखा** **आपूर्त्ति अपील संख्या 120/11** **राजेश्वर प्रसाद सिंह बनाम बिहार सरकार (अनुमंडल पदाधिकारी, सोनपुर) एवं अन्य** **आदेश** संदर्भित अपील आवेदन अनुमंडल पदाधिकारी, सोनपुर के आदेश ज्ञापांक 1041/आपूर्ति दिनांक 22.11.11 के विरूद्ध दायर किया गया है। दायर अपील वाद की सुनवाई की गयी। वाद का संक्षिप्त इतिहास यह है कि दिनांक 25.10.11 को पंचायतवार गठित जॉच दल के द्वारा राजेश्वर प्रसाद सिंह, जन वितरण प्रणाली विकेता, वजहियॉ की दूकान की जॉच की गयी। जॉच के कम में विकेता की दूकान बंद पायी गयी, जिसके लिए अनुमंडल पदाधिकारी, सोनपुर के ज्ञापांक 900/आपूर्ति दिनांक 11.11.11 के द्वारा विकेता से स्पष्टीकरण की मॉग की गयी। विकेता के द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण को असंतोषजनक पाते हुए विकेता की अनुज्ञप्ति को रद्द कर दिया गया। अनुज्ञप्ति रद्द करने संबंधी प्रश्नगत आदेश को चुनौती देते हुए उपस्थित अपीलकर्त्ता के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा बतलाया गया कि विकेता हृदय रोग से पीड़ित हैं। जॉच की तिथि को अचानक हृदय में तीव्र दर्द होने के पश्चात् विकेता हाजीपुर दिखाने चले गए, जिसकी चिकित्सीय कागजात की प्रति अपने जवाब के साथ संलगन कर प्रस्तुत किया गया था। एक अन्य वाद में माननीय उच्च न्यायालय, पटना के द्वारा स्पष्ट निर्देश दिया	

गया है कि किसी भी जन वितरण प्रणाली की दूकान को केवल बंद रखने की अनियमितता की वजह से उसकी अनुज्ञप्ति रद्द किए जाने जैसी गंभीर सजा दिया जाना विधि–सम्मत् नहीं है। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा अनुज्ञप्ति रद्द को पुनर्जीवित करने का अनुरोध किया गया।

सरकार का पक्ष रखते हुए विज्ञ विशेष लोक अभियोजक के द्वारा बतलाया गया कि विक्रेता पर जो आरोप लगाया गया है, वह अनुज्ञप्ति की शर्त्तों, विभागीय दिशा–निर्देशों के उल्लंघन का परिचायक है।

उभय पक्षों को सुना। अभिलेख में रक्षित कागजातों का परिसीलन किया गया। परिसीलनोपरान्त मैं यह पाता हूँ कि अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा पारित आदेश अपने आप में मुखर आदेश नहीं है। अनुज्ञापन पदाधिकारी के लिए यह उचित था कि विक्रेता की दूकान से संबंधित कागजात एवं पंजी मँगवाकर उसकी समुचित जाँच की जाती एवं यदि जाँच के क्रम में कोई अनियमितता पायी जाती, तो किसी प्रकार की कार्रवाई की जाती, लेकिन उनके द्वारा ऐसा नहीं किया गया है। अतः अनुज्ञापन पदाधिकारी के प्रश्नगत आदेश को निरस्त करते हुए अपीलार्थी के अपील आवेदन को स्वीकृत किया जाता है।

वाद निष्पादित।

लेखापित एवं संशोधित

जिला दंडाधिकारी,
सारण, छपरा

जिला दंडाधिकारी,
सारण, छपरा

ज्ञापांक 04 मुज्य दिनांक 13/01/2015

प्रतिलिपि–अनुमंडल पदाधिकारी,सोनपुर को निम्न न्यायालय का अभिलेख मूल में संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, एन0आई0सी0,सारण,छपरा को इस जिले के वेवसाइट पर उक्त आदेश को निदेशानुसार अपलोड करने हेतु प्रेषित।

वरीय उप समाहर्ता
जिला विधि शाखा,सारण,छपरा।